अनुदान संख्या 38 – राज्यों को अंतरण
GRANT No. 38 - TRANSFERS TO STATES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*120466,22,00*	*123709,88,00*	*123709,87,32*	*-68*
पूरक	*Supplementary*	*3243,66,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*68*
स्वीकृत–	**Voted-**				
मूल	Original	32480,00,00	32480,01,00	26194,07,67	- 6285,93,33
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5443,93,33
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*19823,28,00*	*25100,00,00*	*24667,93,99*	*-432,06,01*
पूरक	*Supplementary*	*5276,72,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*432,06,01*

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the savings/excess occurred under the following major head:-

					कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
							(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष		Head					
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.		*O.*		*12046622.00*			
पू.		*S.*		*324366.00*	*12370987.32*	*12370987.32*	..
पु.		*R.*		*-0.68*			

(I) "वित्त आयोग अनुदान – शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान – शहरी निकायों को अनुदान (राज्य)" के अंतर्गत *₹2335877.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹224366.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹2560243.00 लाख* किया गया जो, तथापि, नोडल एजेंसी से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण *₹50465.05 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Finance Commission Grants - Grants for Urban Local Bodies - Urban Bodies Grant (States)" - the original *appropriation* of *₹2335877.00 lakhs* was augmented to *₹ 2560243.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹224366.00 lakhs* obtained in March, 2020, which, however, remained unutilized to the extent of *₹50465.05 lakhs* - due to receipt of less proposals from the Nodal agency.

(II) "वित्त आयोग अनुदान – अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान – राजस्व घाटा अनुदान (राज्य)" के अंतर्गत *₹589250.00 लाख* की बचत (*₹3420600.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य का संघ राज्य क्षेत्र में रूपांतारण किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Finance Commission Grants - Post Devolution Revenue Deficit Grants - Revenue Deficit Grants(States)" - saving of *₹589250.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹3420600.00 lakhs*) was due to transformation of Jammu & Kashmir State into Union Territory as per J&K Re-organisation Act 2019.

2.(I) उपर्यक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "वित्त आयोग अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई :–

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - "Finance Commission Grants" - under the following heads:-

(I) "ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान – ग्रामीण निकाय अनुदान (राज्य)" – *₹580336.37 लाख* का अधिक व्यय (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए *₹100000.00 लाख* के पूरक *विनियोग* सहित *₹5355760.00 लाख* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(I) "Grants for Rural Local Bodies - Rural Bodies Grants (States)" - excess of *₹580336.37 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹ 5355760.00 lakhs* including supplementary *appropriation* of *₹ 100000.00 lakhs* obtained in November, 2019) was due to requirement of additional funds for release to Rural Local Bodies

(II) "राज्य आपदा निवारण निधि के लिए सहायता अनुदान – राज्य आपदा निवारण निधि अनुदान (राज्य)" – *₹ 59378.00 लाख* का अधिक व्यय (*₹ 1034385.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) "Grants in aid for State Disaster Response Fund - State Disaster Response Fund Grants(States)" - excess of *₹ 59378.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 1034385.00 lakhs*) was due to requirement of additional funds by State Governments.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2245"	Major Head "2245"				
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	1248000.00			
पू.	S.	1.00	2221050.00	2136850.00	-84200.00
पु.	R.	973049.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2000000.00			
			482557.67	482557.67	..
पु.	R.	-1517442.33			

(I) मुख्य शीर्ष "3601" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(I) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान" – ₹179812.33 लाख की बचत (₹450000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Centrally Sponsored Schemes- Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Grants for Centrally Sponsored Schemes" - saving of ₹179812.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450000.00 lakhs); and

(खा) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – विशेष सहायता (राज्य)” – ₹1337630.00 लाख की बचत (₹1500000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

(B) “Other Transfer/Grants to States- Special Assistance - Special Assistance (States)” - saving of ₹1337630.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियां जारी किए जाने के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals for release of funds.

(II) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹888849.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “2245” – “सामान्य – राष्ट्रीय आपदा निवारण निधि से राज्यों को सहायता – गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता” के अंतर्गत – नवंबर, 2019 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) The above savings were partly (₹888849.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2019 under Major Head “2245” - “General - Assistance to States from National Disaster Response Fund - Assistance to States from NDRF for calamities of severe nature.”

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
मुख्य शीर्ष “7601”	Major Head “7601”				
राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments				
मू.	*O.*	*1982328.00*			
पू.	*S.*	*527672.00*	*2466793.99*	*2466793.99*	..
पु.	*R.*	*-43206.01*			

(I) *₹ 10000.00 लाख* का *विनियोग* “राज्यों को अन्य कर्ज – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में कर्ज – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में कर्ज (राज्य)” के अंतर्गत एक मामले में अग्रिम के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹10000.00 lakhs* remained wholly unutilized in one case under “Other Loans to States - Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities - Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (States)” - due to non-receipt of request from State Governments for advance.

(II) "राज्यों को अन्य कर्ज – एकमुश्त कर्ज – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एकमुश्त ऋण)" के अंतर्गत मार्च, 2020 में पूरक *विनियोग* प्राप्त करके *₹30600.00 लाख* की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण *₹25413.98 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Other Loans to States - Block Loans - Additional Central Assistance for externally aided projects (Block Loans)" - funds of *₹30600.00 lakhs* were provided by obtaining supplementary *appropriation* in March, 2020, which, however, remained unutilized to the extent of *₹25413.98 lakhs* - due to non-receipt of proposals from Controller of Aid Accounts & Audit Division.

(III) "राज्यों को अन्य कर्ज – एकमुश्त ऋण – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" के अंतर्गत ऋण – *₹9947.86 लाख* बचत (*₹ 1972328.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) निधियां जारी किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under "Other Loans to States - Block Loans - Additional Central Assistance for externally aided projects" - saving of *₹ 9947.86 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1972328.00 lakhs*) was due to non-receipt of proposals for release of funds.

5. उपर्युक्त बचतें "राज्यों को अन्य कर्ज – एकमुश्ती ऋण – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बैक टू बैक कर्ज)" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – *₹2155.83 लाख* का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए *₹497072.00 लाख* के पूरक *विनियोग* की तुलना में) बैक टू बैक कर्ज के अंतर्गत रिलीजों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

5. The above savings were partly offset by excess under "Other Loans to States - Block Loans - Additional Central Assistance for externally aided projects (Back to Back Loans)" - excess of *₹2155.83 lakhs* (against the supplementary *appropriation* of *₹497072.00 lakhs* obtained in March, 2020) was due to requirement of additional funds to meet the releases under Back to Back Loans.